(159) 887

अनुआठ-4

अति महत्वपूर्ण / सर्वोच्च प्राथमिकता।

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

संख्याःपॉच–541(सं0वरि0)2014 दिनांकःदिसम्बर 18 ,2014

सेवा में,

1–समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
2–समस्त कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

विषयः निरीक्षक ना0पु0, प्रतिसार निरीक्षक एवं दलनायको की अनन्तिम संयुक्त वरिष्ठता सूची का प्रकाशन।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस महानिरीक्षक,प्रशासन उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्याः डीजी–2ब–61 ए/2014–15 दिनांकः 11.12.2014 द्वारा दिनांकः 01.07.2014 की स्थिति के अनुसार 02 वर्ष का परिवीक्षाकाल पूर्ण किये मौलिक रूप से नियुक्त निरीक्षक ना0पु0, प्रतिसार निरीक्षक एवं दलनायक की निर्विवाद प्रकाशित वरिष्ठता सूची उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

2. पूर्व में निरीक्षक ना0पु0, प्रतिसार निरीक्षक एवं दलनायक की संयुक्त वरिष्ठता सूची पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्याःपॉच–541(सं0वरि0)–2014 दिनांकः20.06.2014 को अन्तिम वरिष्ठता सूची सर्व–सम्बन्धित के सूचनार्थ प्रकाशित किया गया था।

3. इस पत्र के साथ प्रकाशित की जा रही अनन्तिम संयुक्त वरिष्ठता सूची निम्नलिखित आधार पर तैयार की गयी हैः–

(1) दिनांकः 01.07.2014 को निरीक्षक ना0पु0, प्रतिसार निरीक्षक एवं दलनायक के पद पर सेवारत सभी कर्मी सम्मिलित है।

(2) उ0प्र0 राज्य से उत्तराखण्ड राज्य को अन्तिम रूप से आवंटित एवं उत्तराखण्ड राज्य में नियुक्त कर्मियो का नाम सम्मिलित न किया जाना।

(3) उत्तराखण्ड राज्य से उत्तर प्रदेश को अन्तिम रूप से आवंटित कर्मियो को सम्मिलित किया जाना है, भले ही वे अभी तक उ0प्र0 में आगमन न किये हो, बशर्ते की कोई न्यायालयीय विवाद न हो अन्यथा न्यायालय के निर्णय के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित होगी।

(4) उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित कर्मी जो न्यायालयीय विवाद अथवा अन्य कारण से उत्तराखण्ड राज्य हेतु कार्यमुक्त न किये गये हो तथा उत्तर प्रदेश में सेवारत हो।

(5) रिट याचिका संख्याः 895(एसएस)95 रामनाथ द्विवेदी बनाम राज्य सरकार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णय दिनांकः 27.07.2000 व विशेष अनुज्ञा याचिका संख्याः सिविल–सीसी–4395/2001 उत्तर प्रदेश शासन बनाम रामनाथ द्विवेदी में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकः16.07.2001 में दिये निर्देश के अनुसार।

(6) सिविल अपील संख्याः 3441–3440/2002 चन्द्र प्रकाश तिवारी व अन्य बनाम शकुन्तला शुक्ला व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकः 09.05.2002 के पालन में शासनादेश संख्याः 5843/6–पु–1–2003–89–95 दिनांकः 24.07.2003 में निहित प्रावधानो के अनुसार।

(7) कर्मियो की बैचवार वरिष्ठता तथा पोषक संवर्ग की पारस्परिक ज्येष्ठता(पीटीसी एटीसी से प्राप्त परीक्षा परिणाम एवं पुलिस गजट के अनुसार) निरीक्षक ना0पु0, प्रतिसार निरीक्षक एवं दलनायक की तैयार की गयी है।

(8) दिनांक 01.07.2014 तक सेवानिवृत्त कर्मियों तथा पुलिस उपाधीक्षक पद पर दिनांकः 01.07.2014 के पूर्व प्रोन्नति प्राप्त किये कर्मियो के नाम सूची से हटाये गये है ।

(9) आउट आफ टर्न प्रोन्नति प्राप्त निरीक्षक ना0पु0, प्रतिसार निरीक्षक एवं दलनायको के नाम सूची में सम्मिलित नहीं है क्यो कि नियमों के अनुसार आउट आफ टर्न प्रोन्नति मौलिक नियुक्ति नहीं मानी जाती है।

4. इस पत्र के साथ प्रकाशित की जा रही वरिष्ठता सूची पुलिस की बेवसाइड **http://uppolice.gov.in/page.aspx?estt.-matters-of-civil-police** पर प्रकाशित की गयी है जिसे डाउनलोड कर अपने जनपद/इकाई में नियुक्त सभी सम्बन्धित निरीक्षक ना0पु0, प्रतिसार निरीक्षक एवं दलनायको को लिखित रूप से सूचित करके उसका अभिलेख अपने कार्यालय में सुरक्षित रख लें। सूची में प्रकाशित सभी कर्मियो को आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु 08 दिवस का समय प्रदान किया जाता है।

आपत्तियॉ दिनांकः 26.12.2014 तक प्रस्तुत की जा सकेगी। प्राप्त आपत्तियों का परीक्षण कर आख्या अभिलेखीय साक्ष्य सहित दलनायको के बारे में पुलिस महानिरीक्षक पीएसी मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ को निस्तारण हेतु भेजा जाय तथा निरीक्षक ना0पु0 एवं प्रतिसार निरीक्षक के बारे में पुलिस महानिरीक्षक स्थापना उ0प्र0 लखनऊ को दिनांकः 29.12.2014 तक अवश्यमेव निस्तारण हेतु उपलब्ध करा दिया जाय। इसकी सूचना पुलिस मुख्यालय को ईमेल आईडी **anubhagadhikari5phq@gmail.com** पर भी उपलब्ध करायी जाय।

5. साथ ही प्रकाशित अनन्तिम वरिष्ठता सूची में अंकित कर्मियों के मृत्यु/ऐच्छिक सेवानिवृत्ति अथवा किसी अन्य कारण से सेवा से विमुक्त होने तथा वर्तमान नियुक्ति स्थान/तिथि के संबंध में भी स्पष्ट टिप्पणि अंकित कर निर्धारित समयावधि के अन्दर सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

6. इस सूची में दिनांकः 01.07.2014 को 02 वर्ष का सफलतापूर्वक परिवीक्षाकाल पूर्ण किये किसी निरीक्षक ना0पु0, प्रतिसार निरीक्षक एवं दलनायको का नाम छूटा हो तो पूर्ण विवरण सहित अवगत कराया जाय।

7 इसके अतिरिक्त सूची में अंकित जिन कर्मियो के सम्बन्ध में 02 वर्ष का सफलतापूर्वक परिवीक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि अंकित नहीं थी, को (Deemed Date) मान लिया गया है। यदि किसी कर्मी के बारे में 02 वर्ष का सफलतापूर्वक परिवीक्षाकाल पूर्ण किये जाने का आदेश पारित किया जाना अपेक्षित हो तो पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर–403(3) में निहित प्रावधानो के अन्तर्गत उक्त आदेश निर्गत करने एवं इसकी प्रति पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद को प्रेषित करने की कृपा करें।

18/12/14

पुलिस उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक,कार्मिक उ0प्र0 लखनऊ।

2– पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वे कृपया अभिलेखो के आधार पर अपने स्तर से भी सूची का परीक्षण कराने की कृपा करें तथा विद्यमान त्रुटियों के बारे में संशोधन हेतु अवगत कराने की कृपा करें।

3– पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वे कृपया अभिलेखो के आधार पर अपने स्तर से भी सूची का परीक्षण कराने की कृपा करें तथा विद्यमान त्रुटियों के बारे में संशोधन हेतु अवगत कराने की कृपा करें। इसी के साथ अपेक्षित कार्यवाही करने हेतु समस्त सम्बन्धित को अपने स्तर से निर्देश निर्गत करने की कृपा करें।

4– पुलिस महानिरीक्षक,स्थापना/कार्मिक मुख्यालय उत्तराखण्ड राज्य देहरादून को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

———————

5– पुलिस महानिरीक्षक, पी0ए0सी0, पी0ए0सी0 मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वे कृपया अभिलेखो के आधार पर अपने स्तर से भी सूची का परीक्षण कराने की कृपा करें तथा विद्यमान त्रुटियों के बारे में संशोधन हेतु अवगत कराने की कृपा करें। इसी के साथ अपेक्षित कार्यवाही करने हेतु समस्त सम्बन्धित को अपने स्तर से निर्देश निर्गत करने की कृपा करें।